**बिहार सरकार,**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग**
**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**
**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या–व.सं./91/2019–452

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 29/05/2020

विषय – भागलपुर जिलान्तर्गत 132 KV लिलों सबौर–सुल्तानगंज ट्रांसमिशन लाईन (कुल लंबाई 16 कि०मी०) निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.081 हे० वन भूमि को "सहायक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ट्रांसमिशन सब डिवीजन, जगदीशपुर के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोंपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. भागलपुर जिलान्तर्गत 132 KV लिलों सबौर–सुल्तानगंज ट्रांसमिशन लाईन (कुल लंबाई 16 कि०मी०) निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.081 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु सहायक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, ट्रांसमिशन सब डिवीजन, जगदीशपुर का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

3. प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन भागलपुर जिलान्तर्गत अधिसूचित वन घोषित पथ किनारे की भूमि से हो कर गुजरती है। पथ किनारे की भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 921 (E) दिनांक 28.08.1997 द्वारा अधिसूचित है। परियोजना निर्माण के क्रम में 0.081 हे० वन भूमि अपयोजन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा की गयी है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण होने से कुल 58 वृक्ष प्रभावित होगें जिसे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर BSPTCL campus अथवा परियोजना निर्माण के लिये प्रस्तावित पथ किनारे की भूमि पर स्थान्तरित कर बचाया जायेगा।

4. **इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर एवं वन संरक्षक, भागलपुर द्वारा वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं किया गया है।** वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

5. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी भागलपुर द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.04 अंकित किया गया है। ट्रान्समिशन लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रर्दशित है।

6. परियोजना का निर्माण भागलपुर जिलान्तर्गत होना है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा 0.0972 हे० वन भूमि के लिये FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिसकी छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वस्तुतः परियोजना निर्माण के क्रम में 0.081 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

i. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

ii. 0.081 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 50,706/– (रूपये पचास हजार सात सौ छः) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

iii. यद्धपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी दर पर रू० 7,30,863/– राशि देय होगी।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाले सभी वृक्षों को अपने खर्च पर Translocate किया जायेगा।

9. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

10. अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

11. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

5.5.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।